वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 16 मई 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

पांथिक आधार पर मलेरकोटला जिला घोषणा संविधान की भावना एवं मूल्यों के विरुद्ध

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पंजाब सरकार द्वारा पांथिक आधार पर नए जिले मलेरकोटला की घोषणा करने की भर्त्सना करती है और मानती है कि यह निर्णय संविधान की भावना एवं मूल्यों के विरुद्ध है। राज्य सरकार को बेहतर प्रशासन तंत्र और आम जनता को बेहतर सुविधाएँ पहुचाने हेतु नये जिले बनाने का अधिकार है परंतु सम्प्रदाय विशेष को खुश करने एवं राजनैतिक हितों को साधने के उद्देश्य से नवीन जिले की घोषणा करना यह संविधान के विरुद्ध एवं समाज को बांटने वाला कदम है।

शर्मनाक विषय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पांथिक आधार पर नया जिला बनाते हुये कहा कि "ईद के दिन यह मुस्लिम समुदाय को भेंट है।" इससे स्पष्ट है कि यह निर्णय पांथिक आधार पर तुष्टिकरण की नीति और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है।

अभाविप की पंजाब प्रांत मंत्री कु. कुदरतजोत कौर ने कहा कि, "पंजाब सरकार पंथ के आधार पर लोगों को विभाजित करने का काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ एवं शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है पर पंजाब सरकार अपने राजनैतिक हित को साधने में लगी है।"

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति को हमेशा से बढ़ावा देती आयी है। साम्प्रदायिक आधार पर जिले की घोषणा करके कैप्टन अमरिंदर ने संविधान के साथ छलावा किया है। जिले की रचना कभी भी एक सम्प्रदाय बहुल शहरों को साथ जोड़ने से नहीं होती बल्कि सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो एवं समस्याओं का त्वरित निवारण हो इस आधार पर की जाती रही है। कैप्टन सरकार का यह निर्णय सामाजिक सौहार्द की भावना को धूमिल करता है।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)